राष्ट्रीय लोक अदालत, बेंच संख्या–1,
सम्बन्धित न्यायालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
विशेष सत्र परीक्षण संख्याः 309/2023
सी.आई.एस. संख्याः 376/2023
उत्तराखण्ड राज्य बनाम श्रीमती रानी
मुकदमा अपराध संख्याः 223/2020
धाराः 135 विद्युत अधिनियम,
थानाः गंगनहर, जिला हरिद्वार।
प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज अंसारी।
विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता श्री रजत शर्मा।

दिनांकः 09.05.2026

आदेश

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। अभियुक्त उपरोक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा विद्युत असैसमेंट की धनराशि व शमन शुल्क की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। धारा 152(2) विद्युत अधिनियम का लाभ देते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित किया गया कि अभियुक्त के द्वारा धारा 126 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत असैसमेन्ट की धनराशि एवं शमन शुल्क जमा कर दी गयी है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा रूपये 8,484/– विद्युत असैसमेन्ट की धनराशि रसीद के माध्यम से विद्युत विभाग में तथा रूपये 4,000/– की धनराशि शमन शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है।

अतः विद्युत असैसमेन्ट की धनराशि व कम्पाउन्ड धनराशि जमा कर दिये जाने के कारण अब मामले की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध अग्रसारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा अभियुक्त को धारा 152(2) विद्युत अधिनियम का लाभ देते हुए प्रस्तुत विशेष सत्र विचारण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(काजल सैनी)
बैंच सदस्य/अधिवक्ता
राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंच सं0–1
हरिद्वार।

(नरेन्द्र दत्त)
पीठासीन अधिकारी/सत्र न्यायाधीश,
राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंच सं0–1
हरिद्वार।